न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजनगर,जिला—सूरजपुर,(छ.ग.)

रा.प्र.क.—2025062635400058/अ—62/2024—25

लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग प्रेमनगर,जिला—सूरजपुर,(छ.ग.)

...................आवेदक

प्रति

छ.ग. शासन ....अनावेदक

//आदेश//

(पारित दिनॉक:—25/06/2025)

यह प्रकरण आवेदक लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग प्रेमनगर,जिला—सूरजपुर, (छ.ग.) के द्वारा ग्राम पंचायत चन्दननगर प.ह.नं. 12 रा.नि.म. उमेश्वरपुर में स्थित भूमि ख.न. 757 रकबा 4.30हे0 भूमि स्थित है, जिस पर हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण कार्य भवन के लेआउट में 04 नग महुआ के वृक्षों की कटाई कराने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्रारम्भ किया गया।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। पटवारी ग्राम चन्दननगर के द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनॉक—20/06/2025 में उल्लेख किया है कि ग्राम चन्दननगर में स्थित भूमि ख.न. 757 रकबा 4.30हे0 में चार नग महुआ का वृक्ष स्थित है जिसे ग्रामवासियों के समक्ष जॉच किया गया। आवेदित भूमि के लेआउट में ग्राम सेवक आवास जर—जर अवस्था में स्थित है, जिसकी चौड़ाई 6.80 मी लंबाई 10.80 मी. है जो कभी भी गिर सकता है तथा प्रस्तावित लेआउट पर 1—महुआ छाती गोलाई 2.40 मी., 2—महुआ छाती गोलाई 2.10 मी., 3—महुआ छाती गोलाई 2.50 मी., 4—महुआ छाती गोलाई 2.10 मी. कुल चार नग वृक्ष लेआउट के दायरे में आते है जिसे आवेदक द्वारा कटाई कराना चाहते है, उपस्थित ग्रामवासियों व अधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर लिया गया।

3. हल्का पटवारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ मौका पंचनामा संलग्न किया गया है। छ.ग. राजपत्र (असाधरण) के अधिसूचना दिनॉक—11 फरवरी 2022 के कण्डिका 08 रोपित वृक्षों कटाई:—(1) छ.ग. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रामानुजनगर, जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी(राज.)
रामानुजनगर, जिला -सूरजपुर (छ.ग.)

सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियत, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छ.ग. परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वमी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों कि कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा।''

अतएव आवेदक लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग प्रेमनगर,जिला–सूरजपुर,छ.ग. को उक्त वृक्ष आंधि तुफान से टूट कर गिर सकता है, जिससे जान–माल कि हानि हो सकती है। जिस कारण भविष्य में होने वाले असुविधा/क्षति होने की संभावना का ध्यान में रखते हुए जनहित में ग्राम चन्दननगर हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन के निर्माण कार्य में भवन के ले–आउट में आ रहे वृक्षों कि कुल संख्या 04 नग महुआ को काटे जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधिन छ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 240,241 व छ.ग. राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनॉक 11 फरवरी 2022 में बने प्रवधानों के एवं भारतीय नागरीक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 152 के तहत् प्रदान कि जाती है।

शर्तें:–

1. वृक्षों की कटाई, छ.ग. वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामि वृक्षों की कटाई कर सकेगा।

2. वृक्ष कटाई नियम 2022 के अंतर्गत वनमण्डाधिकारी सूरजपुर द्वारा वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सूनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मुलय का 90 प्रतिशत राशि शासन के खजाने में निक्षेपित करेंगें एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जावेगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्ष रोपण व उनका अनुरक्षण किया जावेगा। वन विभाग द्वारा 06 फिट के वृक्ष रोपित किये जायेंगें एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से कलेक्टर महोदय को दी जावेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) * रामानुजनगर, जिला - सूरजपुर (छ.ग.)

अनुविभागीव अधिकारी(राज.)
रामानुजनगर, जिला -सूरजपुर (छ.ग.)

3. शर्त की कण्डिका–2 के विपरीत दशा में आवेदक संस्था द्वारा काटे गये लकड़ी के मूल्य की राशि को शासन के खजाने में जमा किया जावें।

4. इन नियमों के तहत प्राप्त अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगा।

आज दिनॉक–25/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा सहित आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उदघोषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रामानुजनगर जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्र./1027-A/वाचक–3/2025
रामानुजनगर,दिनॉक 25/06/2025

प्रतिलिपि,

1. वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर,छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. तहसीलदार प्रेमनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वनपरिक्षेत्राधिकारी प्रेमनगर आदेशानुसार शीर्घ कार्यावाही हेत।
4. आवेदक लोक निर्माण विभाग (भ/स) उसंभाग प्रेमनगर,जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रामानुजनगर, जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रामानुजनगर जिला–सूरजपुर (छ.ग.)